

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर
आदेश

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 413/1991

राजस्थान राज्य एवं अन्य
बनाम
त्रिलोकी नाथ एवं अन्य
आदेश दिनांक 21 मार्च, 2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा

श्री राजेन्द्र प्रसाद अति. महाधिवक्ता वास्ते राज्य
श्री एम एम रंजन वरिष्ठ अधिवक्ता मय
श्री रजत रंजन अधिवक्ता- अधिवक्ता- आवेदक की ओर से
श्री अनिल मेहता अधिवक्ता-प्रत्यर्थीगण की ओर से

अपीलार्थी की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद अतिरिक्त महाधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी राजकुमार साहनी व उनकी एक पुत्री की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वे उनके विधिक प्रतिनिधिगण के बारे में जानकारी करने हेतु अवसर चाहते हैं।

विद्वान् अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण श्री अनिल मेहता ने निवेदन किया है कि वे इस सम्बन्ध में आदेश 22 नियम 10-A सिविल प्रक्रिया संहिता का आवेदन उनके कायम मुकामान को अभिलेख पर लेने के लिए पेश करने हेतु अवसर चाहते हैं।

श्री एम एम रंजन वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि ने नेशनल हाऊसिंग कॉर्पोरेटिव सोसायटी को पक्षकार बनाने के आवेदन के समर्थन में उन्होंने आज कुछ दस्तावेज अभिलेख पर लेने हेतु पेश किये हैं, अतः उक्त आवेदन पर भी साथ में सुना जावे।

कार्यालय इस सम्बन्ध में जांच कर यदि कोई दस्तावेज मय आवेदन के पेश किया गया है, तो उनको शामिल पत्रावली किया जावे।

पत्रावली दिनांक 30.04.2018 को पुनः न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे। इस दरमियान पक्षकारान् द्वारा उक्त आवेदन के जवाब की प्रति श्री रंजन को उपलब्ध कराते हेतु जवाब पेश किया जावे।

(न्यायाधीश बनवारी लाल शर्मा)